

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या— /TR/23-6(1)/सी0एन0जी0किट/2021

दिनांक 21 जून, 2021

आदेश

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115 बी में in use वाहनों में सी0एन0जी0 किट लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3460/टी0आर0/5/CNGKIT/2019-2020 दिनांक 04-11-2019 के द्वारा सी0एन0जी0 किट के रिट्रोफिटमेंट हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत M/s Unitax Automotive द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 में वर्णित टेस्टिंग एजेंसी ICAT, Manesar द्वारा नार्म्स के अनुरूप होने के प्रमाण संख्या- CAPA-0055 Dated 05th Feb, 2020 & CAPA-0055 L01 Dated 14 Feb, 2020 प्राप्त कर लिये गये है। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर M/s Unitax Automotive द्वारा निर्मित CNG KIT Identification -UA-GAM-BSIV (Engine cm³ Range-748.5 to 1247.5) को in use पेट्रोल चालित वाहन मॉडल Maruti Swift Dzire (1197cc) में रिट्रोफिटमेंट कर प्रस्तुत की गयी, जिसका संयुक्त निरीक्षण सहायक परिवहन आयुक्त एवं सम्भागीय निरीक्षण (प्राविधिक) देहरादून द्वारा किया गया। उक्त सी0एन0जी0 किट एवं सिलेण्डर/वाल्व का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- 1. Detail of Kit Manufacturer/ Supplier/ Installer-** M/s Unitax Automotive
M-11, Gali No. 10, First Floor,
Anand Parbat Industrial Area, Delhi
UA-GAM-BSIV
- 2. CNG Kit Identification no-**

3. CNG Cylinder (DOE Approved/Endorsed):

Name of Manufacturer	M/s Sahuwala High Pressure Cylinder Pvt. Ltd.	M/s Rama Cylinder Pvt. Ltd.	M/s Everest kanto cylinder ltd.	M/s Jay Fe Cylinder Ltd.	M/s Lizer Technologi es Ltd	M/s EuroIndia Cylinder Ltd.
Identification no	SHPCL	RDG42159	EKC	JCL	LIZER	EURO
Type	Seamless	Seamless	Seamless	Seamless	Seamless	Seamless
Max test Pressure (kg/cm2)/MPa	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²	340kg/cm ²	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²
Working Pressure (KG/cm2)/MP A	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²
Cylinder Capacity (water Equivalent) and Dia in mm	316mm 50,55,60,65,70,75 ltrs 325 mm 50,55,60,65,70,75,80, 85,90 ltrs 356mm 50,55,60,65,70,75,80, 85, 90,ltrs	317mm 50,55,60,65,70,75 ltrs 356mm 50,52,53,57,58,60,62,63,6 5,70,75,80,82,85,90 ltrs	267mm 50,55,60,65,70 ltrs 316mm 50,54,55,58,60,64,65,6 8,70,75 ltrs 323.8 mm 50,53,55,58,60,63,65,7 0,75 ltrs 356mm 55,58,60,63,64,65,66,6 7,68,70,73,75,78,80,85, 90 ltrs	317mm 50,55,60,65,70,75 ltrs 356mm 50,55,58,60,63,65, 68,70,73,75,77,78, 80,82,85,90 ltrs	317mm 50,55,57,58,60,62,63,65, 70,75 ltrs 356mm 50,55,57,58,60,62, 65,70,75,78,80,85,90 ltrs	267mm 50, 60 ltrs 316mm 50, 55,60,65,70,75 ltrs 356mm 57,60,63,65,70,75, 80, 82,85,90 ltrs
Approval Reference from DOE	G3(42)544/III DT-06-05-2011 G3(42)544/I Dt- 24-12-2008 G3(42)544/I Dt- 24-12-2008	G3(42)553/I DT-11-11-2010 G3(42)515/V1 Dt- 20-05-2011	G3(42)523/ Dt:06-02-2006	G.3(42) 557/I Dt-22/12/2009	G.3(42)536/I Dt-18-03-2008 & G.3(42)536/I Dt-110-12-2008	G.3 (42)572/I dt-18-08- 2011 & G3(42)572/I Dt-14-10-2011

4. Cylinder Valve (DOE approved/endorsed):

Name of manufacturer	M/s Omex Brass Ind	M/s Batra Valves	M/s H.M Plastic	M/s Minda Emer Technologies Ltd.
Model name/Identification no	AXON	Batra Valve	HMP	MINDA EMER/ME-CVM-008 & 009
Type	With fusible plug burstg disc & built in vent	With fusible plug burstg disc & built in vent	With fusible plug burstg disc & built in vent	With fusible plug burstg disc & built in vent
Working pressure (KG/Cm ²)/Mpa)	204.4/20 (200bar)	204kgf/cm ²	204kgf/cm ²	204kgf/cm ²
Max Test pressure (kg/cm ²)/(Mpa)	309.9/30 (375 bar)	350kgf/cm ²	350kgf/cm ²	350kgf/cm ²
Approval refernce form DOE	G-3(40)247 Dt 22/10/2018	G-3(40)87 Dt 24/10/2017	G-3(40)225 Dt 18/07/2018	G-3(40)230 Dt 01/03/2017

5. ICAT, Manesar द्वारा प्रदत्त Approval certificate no-CAPA-0055 Dated 05th Feb, 2020 & CAPA-0055 L01 Dated 14 Feb, 2020 में उक्त सी0एन0जी0 किट एवं सलेन्डर/वाल्व को निम्न मॉडल वाहन पर लगाये जाने के उल्लेख किया गया है:-

Sl. No.	Approved Vehicle Model	Engine CC	ICAT Certificate No.	Vintage of Vehicles
1	Wagon R VXI BSIV	998	CAPA-0055 Dated 05th Feb, 2020	01 st April 2010 till 31 st March 2013
2	Chevrolet Beat	1199	CAPA-0055 L01 Dated 14 February 2020	
3	Chevrolet Spark	995		
4	Chevrolet AVEO UVA	1150		
5	Chevrolet Sail	1199		
6	Chevrolet Sail UVA	1199		
7	Fiat Grand Punto	1172		
8	Fiat Palio Stile	1108		
9	Ford Figo	1196		
10	Honda Amaze AT	1198		
11	Honda Brio	1198		
12	Honda Jazz	1199		
13	Hyundai Eon	814		
14	Hyundai Eon	998		
15	Hyundai Getz	1086		
16	Hyundai i10 1.2	1197		
17	Hyundai i10 Era	1086		
18	Hyundai i20 1.2L	1197		
19	Hyundai Santro	1086		
20	Maruti Astar	998		
21	Maruti Alto 800	796		
22	Maruti Alto K10	998		
23	Maruti Celerio	998		
24	Maruti EECO (5Seater)	1196		
25	Maruti EECO (7Seater)	1196		
26	Maruti Omni (5 Seater)	796		
27	Maruti Omni (8 Seater)	796		
28	Maruti Ritz	1197		
29	Maruti Swift	1197		
30	Maruti Swift Dzire	1197		

31	Maruti Zen Estilo	998	CAPA-0055 L01 Dated 14 February 2020	01 st April 2010 till 31 st March 2013
32	Nissan Micra	1198		
33	Renault Pulse	1198		
34	Skoda Fabia	1198		
35	Tata Indica V2 Xeta	1193		
36	Tata Indica Vista	1172		
37	Tata Indigo ecs	1193		
38	Toyota Etios Liva	1197		
39	Volkswagen Polo	1198		
40	Volkswagen Vento	1198		

अतः उक्त सी०एन०जी० किट/सिलेंडर/वाल्व को प्रोटोटाइप एजेन्सी द्वारा अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुसार उपरोक्त 40 मॉडल वाहनों पर रिट्रोफिटमेंट निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किट रिट्रोफिटमेंट के साथ वाहन में लगाये जाने वाले ऑटो सीएनजी टैंक एवं मल्टीफंक्शन वाल्व के सुरक्षित होने के सम्बन्ध में सीसीओई के प्रमाण-पत्र की प्रति विक्रय के समय क्रेता को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे क्रेता द्वारा पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. वाहन में किट रिट्रोफिटमेंट किट निर्माता की अधिकृत कार्यशाला अथवा वाहन विनिर्माता द्वारा ही लगायी जायगी। इस प्रकार की कार्यशालाओं को जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. किट के स्पेसिफिकेशन अथवा ले आउट में किसी प्रकार का परिवर्तन हाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित प्रोटोटाइप एजेन्सी को तत्काल देनी होगी और पुनः टाइप एप्रूवल प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
4. किट के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राविधान केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115ख के बिन्दु (ड) के एनेक्जर IX एआईएस024 और एआईएस028 (आरईवी-1) में समय-समय पर यथा संशोधित -विनिर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जायेगा।
5. प्रत्येक किट स्थापित करने वाला (kit installer) यह सुनिश्चित करेगा कि लगायी जाने वाली किट सुरक्षित है तथा लगाये गये फ्यूल टैंक एवं मल्टीफंक्शन वाल्व के सम्बन्ध में सीसीओई प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
6. ऑटो सीएनजी टैंक वाहन में स्थायी रूप से स्थापित किया जायेगा।
7. ऑटो सीएनजी टैंक निर्माता के स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही लगाया जायेगा।
8. प्रोटोटाइप एजेन्सी से अनुमोदित किट का वाहन में रिट्रोफिटमेंट के पश्चात् विनिर्माता द्वारा वाहन स्वामी को सर्विस मैनुअल आर्वतक निरीक्षण और अनुरक्षण की निर्देशिका, सर्विस, मरम्मत अनुरक्षण हेतु पर्याप्त बुनियादी संरचना प्रदान की जायेगी।
9. किट निर्माता द्वारा किट उपयोगकर्ताओं का समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।
10. किट निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115ख के बिन्दु (च) के एनेक्जर X के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. किट निर्माता द्वारा सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट के समय मोटरयान अधिनियम, 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 की व्यवस्थाओं का अनुपालन करना होगा।

12. किट निर्माता द्वारा मोटर वाहन में विधिमान्य तरीके से किट रिट्रोफिटमेंट न किये जाने और या विधि की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित न करने की दशा में अनुमोदन रद्द कर दिया जायेगा।
13. मोटर वाहनों में किट रिट्रोफिटमेंट के सम्बन्ध में किट निर्माता द्वारा परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही इस विषय में परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. किट निर्माताओं द्वारा अनुमोदन प्राप्त किट ही वाहनों में फिट की जाएगी और ऐसी किट का विवरण सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्ट किया जाएगा।


संलग्न:- प्रोटोटाईप प्रमाण पत्र की प्रति।

(एस0के0सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या-1924 / TR / CNG/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

- 1-समस्त सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) उत्तराखण्ड।
- 3-सम्बन्धित पत्रावली।
- 4- M/s Unitax Automotive, M-11, Gali No. 10, First Floor, Anand Parbat Industrial Area, Delhi-110005


(एस0के0सिंह)
उप परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।